न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प मूल की ढाणी

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 161 / 2017

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1 भीखाराम पुत्र पुराराम
2 मीरा देवी पत्नि पुराराम
जातियान जाट निवासी कोरना

1 करनाराम पुत्र रावतराम जाट
2 नरसिंगाराम पुत्र रावतराम जाट
3 सांवलराम पुत्र रावतराम जाट
4 खरताराम पुत्र रावतराम जाट
5 नथुदेवी पत्नि रावतराम जाट
6 बुधाराम पुत्र सोनाराम जाट
7 पुनाराम पुत्र सोनाराम जाट
निवासीयान कोरना तहसील पचपदरा
8 खेताराम पुत्र कानाराम
9 मांगीलाल पुत्र कानराम
10 बुधाराम पुत्र राणाराम
11 चैनाराम पुत्र राणाराम
12 अमराराम पुत्र राणाराम
13 केसी पत्नि राणाराम
14 अखाराम पुत्र हुकमाराम
15 भोमाराम पुत्र देवाराम
16 भाखरराम पुत्र सताराम
जातियान जाट निवासी कोरना
17 थानिया पुत्र दोलाराम
18 कालु पुत्र दोलाराम
19 ढोकलाराम पुत्र पदमा
20 पदमाराम पुत्र मगाराम
21 जेठाराम पुत्र लिखमाराम
22 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक
तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

दावा बाबत खोतदारी अधिकारों की घोषणा, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

उपस्थित : वादीगण स्वयं 1 व 2
प्रतिवादी संख्या 1 से 4,6,7,9,10,12

दिनांक : 24/05.2018

वादीगण के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की पुश्तैनी भूमि खेत खसरा नम्बर 1572 रकबा 14 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1578 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1610 रकबा 21 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1725 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा, खसरा नम्बर 1735 रकबा 05 बीघा 01 विस्वा, खसरा नम्बर 1747 रकबा 4 बीघा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. 24.05.2018

Scanned by CamScanner

02 विस्वा, खसरा नम्बर 1781 रकबा 22 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 1795 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1804 रकबा 24 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1810 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1812 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 1816 रकबा 13 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 1819 रकबा 33 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 1823 रकबा 10 बीघा 01 विस्वा कुल खसरा 14 कुल रकबा 202 बीघा 14 विस्वा सरहद मौजा कपूरडी पटवार हल्का मूल की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर व खसरा नम्बर 236 रकबा 50 बीघा 15 विस्वा सरहद मौजा कोरणा पटवार हल्का कोरणा, भू अभिलेख क्षेत्र मण्डली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर मे अवस्थित है। जिसमें वादीगण अपनी पैतृक कृषि भूमि मे हक हिस्से अनुसार काबिज एवं कब्जा कास्त है।

यह है कि वाद पत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित भूमि में वादीगण के पिता व पति पुराराम करीब 25 वर्षो से लापता होने व वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत मूल की ढाणी से लापता होने बाबत प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया उक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण के पिता व पति भविष्य मे जीवित प्रकट होना मुश्किल है एवं वादीगण अपने पैतृक कृषि भूमि मे सरकारी योजनाओं से वंचित होने के कारण अपने हक हिस्से की भूमि मे पुराराम पुत्र सोनाराम के राजस्व रेकर्ड में नाम के स्थान पर वादीगण द्वारा अपने सम्पूर्ण पुराराम के हक हिस्से की भूमि अपना नाम दर्ज करावाना चाहते है, जिससे वाद पत्र श्री अदालत मे पेश है।

वाद पत्र के समर्थन मे प्रतिवादी संख्या 12 अमराराम, प्रतिवादी संख्या 10 भूपाराम, प्रतिवादी संख्या 7 पुनाराम के ब्यान कलमबद्ध किये गये तथा कैम्प कोर्ट मूल की ढाणी मजमे आम में मौका दर्ज तैयार की गई जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने वाद पत्र मय दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अध्यन कर उस पर मनन किया तथा मजमें आम मे पूछताछ कर चर्चा की तथा मौके पर मजमे आम में उपस्थित जन समुदाय से जानकारी ली तथा फर्द पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किये। प्रतिवादी संख्या 7,10 व 12 ने अपने ब्यानों में जाहिर किया कि पुराराम 44–45 वर्ष पहले यहां से जोधपुर चले गये और वहां से अचानक वही गायब हो गये। पुराराम के भाईयो ने व पड़ौसियों ने व गांववालो ने खूब खोजा मगर कही नही मिला 22 वर्ष पूर्व पुराराम साधू के रुप में आया व भिक्षा दी और वे चले गये जो आज दिन तक नही लौटे। पुराराम के एक मात्र संतान भीखाराम है उनकी पत्नि है इसके सिवाय कोई और उनके पीछे नहीं है। हम सभी लोग हाथ जोड़ विनती करते है कि पुराराम के स्थान पर उनके पुत्र भीखाराम व पत्नि मीरो देवी का नाम जोडा जावे। ताकि सरकारी लाभ मिले। पुराराम की जमीन में भीखाराम व मीरो देवी का नाम दर्ज होने के बाद लोट के आ जायेगा तो उनकी पत्नि के स्थान पर पुराराम का हक हिस्सा होगा और नाम दर्ज होगा यही तथ्य मौका फर्द में दिनांक 24.05.2018 मजमे आम कैम्प कोर्ट मूल की ढाणी में जन समुदाय ने कही है तथा वादी भीखाराम व मीरों देवी भी इन वाक्यात से सहमत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 1572 रकबा 14 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1578 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1610 रकबा 21 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1725 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा, खसरा नम्बर 1735 रकबा 05 बीघा 01 विस्वा, खसरा नम्बर 1747 रकबा 4 बीघा 02 विस्वा, खसरा नम्बर 1781 रकबा 22 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 1795 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1804 रकबा 24 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1810 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1812 रकबा 15 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 1816 रकबा 13 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 1819 रकबा 33 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 1823 रकबा 10 बीघा 01 विस्वा कुल खसरा 14 कुल रकबा 202 बीघा 14 विस्वा सरहद मौजा कपूरडी पटवार हल्का मूल की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के सम्पूर्ण हिस्से में वादीगण का हिस्सा 1/2 में से 1/3 है अर्थात वादीगण के कब्जा कास्त की

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प मूल की ढाणी

भूमि में कुल रकबा में से 33 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण के हक हिस्से की हैं व खसरा नंबर 236 रकबा 50 बीघा 15 बिस्वा सरहद मौजा कोरणा पटवार हल्का कोरणा, भू–अभिलेख क्षेत्र मण्डली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर में वादीगण का 1/4 में से 1/2 स्व. सोनाराम की खातेदारी थी, जिसमें से 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता व पति पुराराम के नाम दर्ज थी अर्थात 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि में पुराराम पुत्र दोलाराम के स्थान पर वादी भीखाराम पुत्र पुराराम व मीरो देवी पत्नि पुराराम को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे तथा पुराराम के लोटने पर मीरो देवी पत्नि पुराराम के स्थान पर पुनः पुराराम पुत्र दौलाराम का नाम दर्ज किया जावे। डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 कैम्प कोर्ट मूल की ढाणी मे खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत/[illegible] कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प मूल की ढाणी